रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-157/2024/2817/22-2-2023-17(655)/2023

लखनऊ : दिनांक: 25 सितम्बर, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 अगस्त, 2023 को कैदियों को विशेष माफी देने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के प्रस्तर-3(**vi**) के अन्तर्गत आजादी की 75वीं वर्षगांठ (आजादी का अमृत महोत्सव) तृतीय चरण के अवसर पर जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष महिला बन्दी रजनी कहार (बन्दी संख्या-619/2017) पुत्री श्री जगराम कहार, निवासी-बरहपुर, थाना-कप्तानगंज, जनपद-बस्ती, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-293/2013 में भा0द0वि0 की धारा-326क के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), बस्ती के आदेश दिनांक 30.10.2017 द्वारा 14 वर्ष के सश्रम कारावास व 50,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 14.08.2023 तक 09 वर्ष 10 माह 15 दिन की अपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण सन्तोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

संख्या-157/2024/2817(1)/22-2-2023 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बस्ती।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in